# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
# Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission


पत्रांक /Ref. No.: 1846 संवाद–103 दिनांक /Date.: 25.03.2021

**विषयः–वन आरक्षी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में**

**प्रिय अभ्यर्थियों**

कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग से यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि वन आरक्षी परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होगी? इस संबंध में स्पष्ट करना है कि नियोक्ता विभाग अर्थात वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 में शारीरिक दक्षता के लिए किये गये प्रावधानों को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया है। संशोधन नियमावली, 2019 के अनुरूप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निम्न प्रावधान किये गये है :–

1. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जायगी एवं रिक्तियों के सापेक्ष दोगुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आंमत्रित किया जायेगा।
2. शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंचाई व सीना से संबंधित निम्न मानक रखे गये है :–
   - I. **ऊंचाई / लंबाई में पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 163 सेमी0** एवं **महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेमी0** लंबाई अनिवार्य होगी।
   - II. **अनुसूचित जनजातियों** और **पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की दशा में ऊंचाई** का मानक निम्न प्रकार होगा :–

     **पुरूष–152 सेमी0** **महिला–145 सेमी0**
   - III. पुरूषों के लिए सीने का 05 सेमी0 फुलाना अनिवार्य है(सीने की कोई माप निर्धारित नहीं है)
   - IV. अभ्यर्थी की सामान्य दृष्टि +-/4.00 डी0 से अधिक दोष पूर्ण नहीं होनी चाहिए।

उपरोक्त शारीरिक मानकों के साथ–साथ **पुरूषों के लिए 04 घंटे के भीतर 25 किमी0 की दौड़** तथा **महिलाओं के लिए 04 घंटे के भीतर 14 किमी0 की दौड़** पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

शारीरिक नाप जोख के उपरोक्त मानक तथा दौड़ को निर्धारित समय में पूर्ण न कर सकने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अनुपयुक्त घोषित किया जायगा।

अतः संशोधित नियमावली के अनुरूप उपरोक्त शारीरिक नाप जोख एवं दौड़ कराई जायेगी तथा उसके उपरांत ही अभ्यर्थियों को अंतिम चयन का अवसर मिलेगा।

संशोधित नियमावली को भी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ संलग्न कर प्रकाशित किया जा रहा है।

कृपया तद्नुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु तैयारी करें। आयोग इस परीक्षा को शीघ्र ही आयोजित करने का प्रयास कर रहा है।

**आयोग की ओर से,**

ह0/ 28/3

**(संतोष बडोनी)**

**सचिव।**


उत्कृष्टता पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड **Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand**

दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com

45
11-9-19

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1
संख्या–1849 /X–1–2019–04(01)/2001A
देहरादून : दिनांक 20 अगस्त, 2019

## अधिसूचना

## प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

### उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019

**संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ**

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त लागू होगी।

**नियम 15 का संशोधन**

"उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016" के नियम 15 में:–

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| सीधी भर्ती प्रक्रियाः | सीधी भर्ती प्रक्रिया |
| (2) 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा और उसमें सफल प्रतियोगियों से लिखित परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा करेगी। | (2) 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा और सफल प्रतियोगियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जायेगी तथा रिक्तियों के सापेक्ष दो गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। |

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात–

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| सीधी भर्ती प्रक्रियाः | सीधी भर्ती प्रक्रिया |
| (5) शारीरिक दक्षता परीक्षाः– शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रारम्भ में नियम 13 के उपनियम (1) के अनुसार शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी :– | (5) शारीरिक दक्षता परीक्षाः– शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रारम्भ में नियम 13 के उपनियम (1) के अनुसार शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी :– |

20/8/2019
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव
वन एवं पर्यावरण, आबकारी
उत्तराखण्ड शासन।

| क्र. सं. | विवरण | अर्हकारी मानदण्ड | |
|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला |
| 1. | पुरुष के मामले में 25 किमी. की दौड़ पीठ पर 10 किग्रा. का भार लेकर<br>महिला के मामले में 14 किमी0 की दौड़ पीठ पर 05 किग्रा. का भार लेकर | अधिकतम चार घंटे में। | अधिकतम चार घंटे में। |
| 2. | शॉट पुट (7.26 किग्रा0) | 5.00 मीटर | 2.50 मीटर |
| 3 | लम्बी कूद | 4.00 मीटर | 2.00 मीटर |
| 4 | ऊँची कूद | 1.10 मीटर | 0.70 मीटर |

दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही शॉट पुट, लम्बी कूद एवं ऊँची कूद परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा तथा इनमें प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा में निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने हेतु उन्हें अधिकतम तीन अवसरों में से किसी एक में अर्हता प्राप्त करनी आवश्यक होगी। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने पर अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अर्हकारी मानदण्ड पूर्ण नहीं किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

| क्र. सं. | विवरण | अर्हकारी मानदण्ड | |
|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला |
| 1. | पुरुष के मामले में 25 किमी. की दौड़।<br>तथा<br>महिला के मामले में 14 किमी0 की दौड़। | अधिकतम चार घंटे में। | अधिकतम चार घंटे में। |

दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अर्ह घोषित किया जायेगा। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने पर अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अर्हकारी मानदण्ड पूर्ण नहीं किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

(ग) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (ख) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान नियम**

**सीधी भर्ती प्रक्रिया**

(ख) लिखित परीक्षा :—शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोग नियमानुसार ली जायेगी।

**स्तम्भ-2**

**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**सीधी भर्ती प्रक्रिया**

(ख) लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नियम 15 के उपनियम (क) के अनुसार सम्पन्न की जायेगी।

टिप्पणी :—उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 के नियम 15 के उपनियम (ख), (ग) एवं (घ) को पुनर्संख्यांकित कर क्रमशः उपनियम (ग), (घ) एवं (ङ) पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)